उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या:-24/2019-सा-3-680/दस-2019-308/2016 टी0सी0 ।

लखनऊ: दिनॉक: 28 अगस्त, 2019

<u>शुद्धि-पत्र</u>

प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन विषयक वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2019/सा-3-648/दस-2019-308/2016 दिनांक 09 अगस्त, 2019 के प्रस्तर 1, में मूल वेतन, ग्रेड वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के योग की अधिकतम सीमा रूपयें 85000/- मासिक के स्थान पर त्रुटिवश रू0 58000/- मासिक टंकित हो गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में अंकित उक्त धनराशि रू0 58000/- मासिक को रूपयें 85000/- मासिक पढा जाये।

3- उक्त शासनादेश निर्गम की तिथि से इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

नील रतन कुमार

विशेष सचिव, वित्त।

2-/

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-24/2019-सा-680(1)/दस-2019-308/2016 टी0सी0 । तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला), उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।